न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–470/2026
(परिवाद वाद संख्या 274सी2/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुभाष बर्णवाल बनाम राज्य सरकार

आदेश

13.05.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **सुभाष बर्णवाल** पिता–जयप्रकाश वर्णवाल, साकिन–बटपार, थाना चकाई, जिला जमुई द्वारा परिवाद वाद संख्या 274सी2/2023 अन्तर्गत वन विभाग की धारा 26 उपधारा 01 (g, H) एवं धारा 41 में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार बर्णवाल तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 20.04.2022 को वन वाद का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । घटना की सत्यता की जांच हेतु सूचक प्रसंगतवाद में साक्षी के साथ बाराकोला दिलुवा वन जो आरक्षित वन घोषित है एवं जिनका अधिसूचना संख्या 6539–आर0/46 दिनांक 10.07.1946 है। अपराध प्रतिवेदन में दर्ज उत्खनन को सही पाया। वन सीमा के अन्दर वास्तविक खनन स्थल का मापी किया जो 08 डिसमिल था। खनन स्थल से मिट्टी का खनन किया गया था जो अभियुक्त द्वारा अपने मकान बनाने में उपयोग किया गया है। जिसका उल्लेख अपराध अपराध प्रतिवेदन में दर्ज है। प्रसंगवान साक्षी भारत शर्मा वनरक्षी के साथ अभियुक्त द्वारा बनाये गए मकान जिसमें वन सीमा से खनन किये गये मिट्टी का उपयोग किया है के समीप गया तो पाया कि अर्धनिर्मित मकान मिट्टी एवं खनन किये गये मिट्टी का नमूना का मिलान किया तो हू ब हू पाया। दिनांक 21.04.22 को जब अभियुक्त के घर गया एवं पूछताछ करने के लिए उपस्थित होने हेतु कहा परन्तु वह औरत एवं बच्चों का सहारा लेकर भाग गया।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़कर सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है इसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वन अधिकारी द्वारा इस झूठे केस में आवेदक को फंसाया गया है। यह कि वन अधिकारी डी0एफ0ओ0 द्वारा दण्ड की राशि 64000/–रू तथा राजस्व की राशि 32000/–रू कुल 96000/–रू0 निर्धारित की गई है। यह कि गांव की गंदी राजनीति के कारण आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। यह कि आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और न ही आवेदक घटनास्थल पर मौजूद था। यह कि इस मामले की रिपोर्ट तथ्यों की पूरी जांच के बिना की गई है। आवेदक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है और न ही आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या आरोप है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है साथ ही आवेदक धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक वन विभाग द्वारा दाखिल परिवाद वाद में नामजद अभियुक्त है तथा यह केस वन अधिनियम की धारा 26 उपधारा 01 (g, H) एवं धारा 41 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। वन विभाग के वनरक्षी को अपराध की घटना का पता दिनांक 19.04.2022 को लगा और उसी दिन वनरक्षी भरत शर्मा द्वारा वन विभाग बिहार जमुई के वन प्रमण्डल जमुई को अभियोजन दर्ज हेतु आवेदन दिया गया। परंतु उक्त प्रतिवेदन को न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को लगभग 20 माह बाद प्रस्तुत किया गया और इसका कोई स्पटीकरण अभिलेख पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभिलेख में अंकित है कि सूचक अपने साथी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि अपराधियों के द्वारा जंगल में लगातार दो

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–470 / 2026
(परिवाद वाद संख्या 274सी2 / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुभाष बर्णवाल बनाम राज्य सरकार

13.05.2026 कट्ठा जमीन मकान बनाने के लिए मिट्टी खोदा गया था, मेरे मना करने के बाद भी कार्य को बंद नहीं किया गया। न तो वनरक्षी द्वारा दिये गये आवेदन और न ही अपराध प्रतिवेदन जो वन विभाग द्वारा न्यायालय में समर्पित किया गया। उसमें उक्त कथित भूमि से मिट्टी खोदने की जमीन का खाता खेसरा रकवा चौहदी नहीं दिया गया है और न ही उक्त भूमि का नजरी नक्शा अभिलेख में अंकित किया गया है। जबकि अभियुक्त द्वारा उक्त भूमि का पंजीकृत केवाला न्यायालय में दाखिल किया गया है उक्त भूमि को अभियुक्त की पत्नी नीतू देवी ने नारायण यादव से दिनांक 24.03.2019 को पंजीकृत केवाला द्वारा खरीदा है। यह अपराध प्रतिवेदन में भी अंकित है कि यह रिपोर्ट पता लगने के 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि यह घटना घटने के बीस माह बाद न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख देखने से प्रतीत होता है कि वन विभाग द्वारा वाद अंकित करने समय से अपराध प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करने तथा वाद के जांच में अपने कर्तव्य के प्रति घनघोर उपेक्षा किया गया है तथा कोई भी तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण साक्ष्य वन विभाग के जांचकर्मी द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 482(2) बी0एन0एस0एस0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदक **सुभाष बर्णवाल** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति जिला वन पदाधिकारी, जमुई को प्रेषित करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।